कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 19.03.2025

विषयः- थाना रामनगर गोलाघाट स्थित विभिन्न दुकानों का ताला तोड़कर हुई चोरी की घटना का थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त मय माल के गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पर्यवेक्षण व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली महोदय व प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में दिनांक 19/03/2025 को रामनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर आदित्य सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी गोलाघाट थाना रामनगर वाराणसी उम्र 21 वर्ष को कारण गिरफ्तारी बताकर समय 02.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया। तथा सम्पूर्ण चोरी गये माल की बरामदगी की गयी।

पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 18/03/2025 को वादी मुकदमा श्री राजकुमार सिंह पुत्र स्व0 सुर्य प्रसाद निवासी म0नं0- 4 / 399 वारगड़ही पुराना रामनगर वाराणसी ने लिखित सूचना दिया कि मेरे चैम्बर व 6 अगल बगल के दुकान का ताला तोड़कर दिनांक 17 / 18 मार्च 2025 की रात्रि में चोरी किया गया मेरे दराज में रखा 3500 रूपया, अनिल के दुकान से 7000 रूपया (सिक्का) व अन्य दुकान का ताला तोड़ा गया है। आवेदक द्वारा दिये गये लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0051/2025 धारा 305 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। तथा बाद गिरफ्तारी व बरामदगी धारा 331(4)/317(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

अनावरण का विवरण ---दिनांक 18/03/2025 थाना रामनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने के उपरान्त प्रभारी निरीक्षक रामनगर द्वारा उच्चाधिकारीगण को सूचित करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त थाना रामनगर से 03 टीमें घटना के अनावरण हेतु बनायी गयी। पहली टीम सीसीटीवी कैमरे के लिए दूसरी टीम सीडीआर के लिए व तीसरी टीम लोकल इंटेलीजेंस के लिए गठित किया गया। पुलिस टीम द्वारा लगातार सक्रिय रहते हुए 24 घण्टे के अन्दर घटना का सफल अनवारण करते हुए सम्पूर्ण चोरी गये माल की बरामदगी किया गया व घटना कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान - दिनांक 19/03/2025 समय 02.00 बजे, बलुआ घाट थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

अभियुक्त का विवरण – आदित्य सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी गोलाघाट थाना रामनगर वाराणसी उम्र 21 वर्ष

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

आदित्य सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी गोलाघाट थाना रामनगर वाराणसी उम्र 21 वर्ष के पास से बरामद रूपये व जेवर के बारे में पूछने पर बताया कि मैं आटा चक्की की दुकान व कई दुकानों का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया लेकिन कुछ ही दुकानों में पैसा मिला यह जो पैसा है यह उसी चोरी का है।

बरामदगी का विवरण

1- 10500/- रूपया नगद

2- एक सफेद धातु का चेन

3- एक सफेद धातु की अंगूठी नग लगा हुआ

4- आला नकब लोहे की राड

आपराधिक इतिहास का विवरण

1. मु0अ0सं0 0217/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मु0अ0सं0-0051/2025 धारा 305/317(2)/331(4) बी0एन0एस0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजू सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री अमीर बहादुर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. उ0नि0 श्री ओमप्रकाश वर्मा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 श्री पंकज कुमार मिश्रा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
5. का0 गौरव भारती थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का0 शैलेन्द्र सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 रविशंकर थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
8. का0 राहुल कुमार सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, कार्यालय
काशी-जोन कमिश्नरेट वाराणसी